

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईख्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ज्येष्ठ अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

संख्या :- 492/2023

पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

प्रकाश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

बनाम

- गुरदयाल सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- दलीप पुत्र सद् जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- देवीलाल पुत्र सद् जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- बलदेव सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- मंगल सिंह पुत्र सुहाव सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- सुभाष पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- हरनेक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह (फौत)
- 7/1 जसप्रीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
- 7/2 पुरुषोत्तम सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
- शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़।
- शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा संगरिया।
- तहसीलदार (सम्पत्त) संगरिया।

—प्रतिवादीगण

दिनांक :- 13.05.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे तहसील श्री प्रवीण बेरड़ वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई श्री कपिल गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काशतकार मय वल्दियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1 गुरदयाल सिंह पुत्र 1.195 हि. 2 बलदेव सिंह पुत्र हरदयाल सिंह 0.202 हि. 3 मंगल सिंह पुत्र सुहावा सिंह 0.177 हि. 4 हरनेक सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 1.195 हि. जाति जट सिख निवासी भगतपुरा 5 दलीप 0.019 हि. 6 देवीलाल 0.019 हि. पि. सद् 7 सुभाष पुत्र साहबराम 3.143 हि. राहिन पीएनवी शाखा दीनगढ़ 8 सूर्यप्रकाश पुत्र साहबराम 3.143 हि. एचडरएफसी बैंक शाखा संगरिया जाति जाट निवासी दीनगढ़	प.मं. 4 एएमपी के चक 15 बीजीपी के खाता सं. 214/54 खाते का योग 5.844 हैव. (विवादित श्रेणी काहै)	सुभाष पुत्र साहबराम राहिन पीएनवी शाखा दीनगढ़ जाति निवासी दीनगढ़	प.न. 181/146 मु.न. 3 का कि.न. 15/1/0.228, 15/2/0.025 गै.मु. खाला, 16/1/0.228, 16/2/0.025 गै.मु. खाला, 17,18/0.506, 19/3/0.152, प.न. 182/146 मु.न. 2 का कि.न. 8,9,10,11,12/1.265, 13/1/0.126, 19/0.126 मिन, 20/0.253 कुल-2.934 हैव.
		सूर्यप्रकाश पुत्र साहबराम एचडरएफसी बैंक शाखा संगरिया जाति जाट निवासी दीनगढ़	प.न. 181/146 मु.न. 3 का कि.न. 23,24/0.506 25/1/0.228, 25/2/0.025 गै.मु. खाला, प.न. 181/147 मु.न. 9 का कि.न. 4/1/0.228, 4/2/0.025 गै.मु. खाला, 5/1/0.228, 5/2/0.025 गै.मु. खाला, 6,7,15/0.759, प.न. 182/147 मु.न. 10 का कि.न. 1/0.253, प.न. 182/146 मु.न. 2 का कि.न. 19/0.127 मिन, 21,22/0.506 कुल-2.910 हैव.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया




अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की शर्षा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. रिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/338 दिनांक 24.04.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम प्रती का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज... मुब्लिक... बाबत...1.00... खर्चा मुकदमे के मंय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक... को अदा करे।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...13.5.2025... को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं एव  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया  
उपखण्ड